

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1—अप्रैल 7, 2017 (चैत्र 11, 1939)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1—APRIL 7, 2017 (CHAITRA 11, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2017

सं. आरएस/6/5/2017/5-कार्मिक—श्री शांति लाल को 1 फरवरी, 2017 से आगामी आदेशों तक राज्य सभा में भाजपा के मुख्य सचेतक (श्री नारायण लाल पंचारिया) के वैयक्तिक स्टाफ में वेतन मैट्रिक्स के 10 लेवल (पूर्व संशोधित वेतनमान 15600-39100 रुपए के वेतन बैंड-3 + 5400/- रुपए के ग्रेड वेतन) में सह-पदावसान आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. श्री शांति लाल की नियुक्ति राज्य सभा में भाजपा के मुख्य सचेतक (श्री नारायण लाल पंचारिया) के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 13 फरवरी 2017

सं. आरएस/6/3/2016/6-कार्मिक—श्री संजीव आहूजा, दानिक्स के अडमान और निकोबार प्रशासन से कार्यमुक्त होने पर उन्हें राज्य सभा के माननीय विपक्ष के नेता के सचिव के रूप में वेतन मेट्रिक्स के 13वें स्थान में (अनंतिम) (पूर्व-संशोधित वेतनमान 37,400-67,100 रुपये + 8700 रुपये के ग्रेड वेतन के समतुल्य) 10 फरवरी, 2017 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक सह-पदावसान आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री संजीव आहूजा की नियुक्ति राज्य सभा के माननीय विपक्ष के नेता के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

नीति आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 2016

सं. एफ-6(2231)/2014-प्रशा.॥—आर्थिक कार्य विभाग की फाईल सं.13016/3/2016-आईईएस से जारी आदेश सं.टी-35/2016, दिनांक 13-12-2016 के अनुसरण में श्री ए. मुथुवेजहप्पन, निदेशक, नीति आयोग को श्रम ब्यूरो, चेन्नई में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 (अपराह्न) से नीति आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2017

सं. एफ-6[2165]/2011-प्रशा.॥—संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 22.12.2016 के पत्रांक 3/20(1)/2016-एडीटी-॥ के तहत अनुमोदन के अनुसरण में प्रतिनियुक्ति का पांचवा वर्ष पूर्ण होने पर, नीति आयोग में वेतन बैंड:3 :15600-39100/-रु. + ग्रेड वेतन 7600/-रु.[पूर्व-संशोधित]{स्तर-12} में उप-सलाहकार (सिंचाई) के रूप में कार्यरत श्री पी. के. झा की प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 11.08.2016 से 11.08.2018 तक अगले दो वर्षों के अवधि के लिए या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो बढ़ाया जाता है।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2017

सं. एफ-6[2251]/2015-प्रशा.॥—मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के दिनांक 06.04.2015 के पत्रांक 36/02/2015-ईओ(एसएम.॥) के अनुसरण में तथा सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत दिनांक 13.12.2016 को नीति आयोग में कार्यकाल पूरा होने के फलस्वरूप श्री आलोक कुमार (आईएस एसएम:1984), अपर सचिव, नीति आयोग को दिनांक 13.12.2016 (अपराह्न) से नीति आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

2. नीति आयोग के दिनांक 13.12.2016 के समसंख्यक आदेश के अधिक्रमण में श्री आलोक कुमार, अपर सचिव को कार्यकाल के अंत में दिनांक 14.12.2016 से 04.01.2017 तक 22 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

दिनांक 9 जनवरी 2017

सं. एफ.6[2250]/2015-प्रशा.॥—मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति सचिवालय के पत्रांक 33/16/2016-ईओ(एसएम.॥) दिनांक 21.12.2016 के अनुसरण में श्रीमती अलका तिवारी, (आईएसएस; जेएच:1988) सलाहकार, नीति आयोग को उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में पार्श्व शिफ्ट आधार पर संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 09.01.2017 (अपराह्न) से नीति आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

दिनांक 11 जनवरी 2017

सं. एफ.6[2233]/2014-प्रशा.।—रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय के दिनांक 02.12.2016 के आदेश सं. ईआरबी-1/2016/86 के अनुसरण में श्री जीतेन्द्र सिंह, (एसजी/आईआरएसईई), निदेशक (केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम), नीति आयोग की एसए ग्रेड में पदोन्नति एवं मोबिलिटी (विद्युत), रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में तैनाती तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.01.2017 के कार्यालय जापन सं. 7/6/2013-ईओ (एमएम-।) के तहत पदोन्नति का लाभ उठाते हुए समयपूर्व प्रत्यावर्तन के अनुमोदन पर उन्हें नीति आयोग से दिनांक 11.01.2017 (पूर्वाहन) से कार्यमुक्त किया जाता है।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2017

सं. एफ-6(2281)/2017-प्रशा.।—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.जा. सं. 6/17/2009-ईओ(एमएम-1) दिनांक 10.01.2017 के अनुसरण में श्री सुमन्त नारायण, आईएण्डएस (2000) की निदेशक डीएमईओ/नीति आयोग के रूप में नियुक्ति को निम्नानुसार नियमित किया जाता है:

1. नीति आयोग के अन्तर्गत डीएमईओ में निदेशक के रूप में नियुक्ति 01.02.2016 से और 08.03.2016 तक नियमित की जाती है।
2. सीएसएस के अन्तर्गत नीति आयोग में निदेशक के रूप में नियुक्ति 09.03.2016 से 14.12.2016 (संवर्ग से बाहर कुल सात वर्ष) की अवधि के लिए नियमित की जाती है।
3. नीति आयोग में निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति अवधि को 14.12.2016 से आगे 14.12.2017 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

दिनांक 20 जनवरी 2017

सं. एफ. 6 (2151)/2011-प्रशा.।—मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति सचिवालय के दिनांक 11.01.2017 के पत्रांक 7/2/2010-ईओ(एसएम.।।)(पी) के तहत अनुमोदन के अनुसरण में नीति आयोग में वेतन बैंड 37400-67000/-रु.+ ग्रेड वेतन 10,000/-रु. (पूर्व-संशोधित) में सलाहकार (परिवहन) के रूप में कार्यरत डॉ मनोज सिंह, आईआरटीएस, की प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 01.01.2017 से छह महीने की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

सं. एफ.6[2186]/2012-प्रशा.।—मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के दिनांक 16.01.2017 के पत्रांक 36/02/2017-ईओ(एसएम.।) के अनुसरण में राष्ट्रपति, वर्तमान में नीति आयोग में सलाहकार के रूप में कार्यरत श्री अनिल कुमार जैन, भा.प्र.से (म.प्र.86) को, श्री युद्धवीर सिंह मलिक (भा.प्र.से, हरि:83), पूर्व विशेष सचिव, नीति आयोग, जिनकी नियुक्ति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में अध्यक्ष के रूप में हो जाने पर नीति आयोग से कार्यमुक्त कर दिया गया है, के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स स्तर-15 में दिनांक 17.01.2017 (पूर्वाहन) से दिनांक 22.04.2019 तक सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत संयुक्त सचिव और अपर सचिव के रूप में 7 वर्षों की संयुक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

सं. एफ. ए-12025/7/2016-प्रशा.॥(पी)—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.11.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/1/2016-ईओ(एमएम.॥) के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री अजय कुमार नेमा (आईटीएस:1994), को केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत वेतन मैट्रिक्स [वेतन बैंड-4 + 8700/-रु. ग्रेड वेतन-पूर्व संशोधित] के स्तर 13 (169000 - 214100) में दिनांक 19.01.2017 (पूर्वाह्न) से पार्श्व शिफ्ट आधार पर दिनांक 11.09.2019 तक (अर्थात् 7 साल का संयुक्त कार्यकाल) या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो नीति आयोग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2017

सं. एफ-6(2278)/2016-प्रशा.॥—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री ए.के.वर्मा, अवर सचिव, नीति आयोग, दिनांक 31.01.2017 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

दिनांक 16 फरवरी 2017

सं. एफ-6(2148)/2010-प्रशा.॥—सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 14 फरवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12015/02/2017-आईएसएस (पार्ट) के संदर्भ में नीति आयोग के अपने पद पर दिनांक 14.08.2015 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सुश्री वंदना मारवाह, निदेशक (आईएसएस), को दिनांक 17.02.2017 (पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल में कटौती करके समय से पहले उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

2. इन्हें अपने मूल संवर्ग अर्थात् सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (आईएसएस प्रभाग) में रिपोर्ट करने का निदेश दिया जाता है।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

अनुशेष

सं. एफ-6(2281)/2017-प्रशा.॥—नीति आयोग की दिनांक 17 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. एफ.6[2281]/2017-प्रशा.॥ में निम्नलिखित पैरा शामिल किया जाता है:

“श्री सुमंत नारायण, आईए एण्ड एस (2000) की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की गणना दिनांक 15.12.2009 से की जायेगी।”

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

दिनांक 21 फरवरी 2017

सं. एफ-6 [2283]/2017-प्रशा.॥ए—मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के दिनांक 5 दिसम्बर, 2016 के पत्रांक 36/02/2016-ईओ(एसएम-॥) के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री यदुवंद माथुर, आईएसएस (आरजे:86) को संशोधित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-15 (182200-224100) में दिनांक 21.02.2017 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक अपर सचिव, नीति आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनेश कोछड़, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 जनवरी 2017

सं. के-13012/04/2016-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती/श्री (1) मुख्तार अहमद (2) अमर सिंह चौहान (3) समशेर बहादुर सिंह (4) विनोद कुमार मिश्रा (5) प्रमोद कुमार श्रीवास्तव (6) राघवेन्द्र कुमार और (7) प्रत्यूष कुमार को अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13012/06/2016-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती/श्री (1) अभय कुमार (2) आलोक कुमार मुखर्जी (3) अनिल कुमार श्रीवास्तव-॥ (4) रवीन्द्र नाथ कक्कड़ (5) डॉ. विजय लक्ष्मी (6) उमेश चन्द्र श्रीवास्तव (7) रविन्द्र नाथ मिश्र-॥ (8) प्रभात चन्द्र त्रिपाठी और (9) विनोद कुमार श्रीवास्तव-॥ को अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 14 जनवरी 2017

सं. के-13013/01/2016-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) कुमारी जवलकर उमा देवि (2) श्री नक्क बालायोगि (3) श्रीमती तेलप्रोलु रजनि और (4) श्री डॉ. शमीम अक्थर को उनकी वरिष्ठता के क्रम में अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 2 फरवरी 2017

सं. के-13020/01/2017-यू.एस.॥—न्यायमूर्ति श्री प्यार सिंह राणा, संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परंतुक (क) के अनुसरण में दिनांक 2 जनवरी, 2017 (अपराहन) से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से अपना त्यागपत्र देते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 15 फरवरी 2017

सं. के-13011/1/2017-यू.एस.॥ (i)—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय कृष्ण कौल को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13011/1/2017-यू.एस.। (ii)—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शांतनगौडर मोहन मल्लिकार्जुन गौडा को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13011/1/2017-यू.एस.। (iii)—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस. अब्दुल नजीर को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13011/1/2017-यू.एस.। (iv)—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नवीन सिन्हा को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13011/1/2017-यू.एस.। (v)—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दीपक गुप्ता को उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 16 फरवरी 2017

सं. के-11019/4/2017- यू.एस.। (i)—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री संजय कृष्ण कौल के भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के फलस्वरूप, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हुलुवाडि गंगाधरप्पा रमेश को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-11019/4/2017- यू.एस.। (ii)—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री शांतनगौडरमोहन मल्लिकार्जुन गौडा के भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के फलस्वरूप, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री तोट्टलिल भास्करन नायर राधाकृष्णन को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-11019/4/2017- यू.एस.॥ (iii)—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री नवीन सिन्हा के भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के फलस्वरूप, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री कल्पेश सत्येन्द्र झवेरी को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-11019/4/2017- यू.एस.॥ (iv)—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री दीपक गुप्ता के भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ने की तारीख से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री प्रीतिकर दिवाकर को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 17 फरवरी 2017

सं. के-13012/02/2015-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्व श्री (i) अशोक कुमार (ii) विवेक चौधरी और (iii) सौमित्र दयाल सिंह को, वरिष्ठता के क्रम में, अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13023/01/2016-यू.एस.॥—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री नंगली कृष्णराव सुधीन्द्रराव और (ii) डॉ होसूर भुजंगराय प्रभाकर शास्त्री को, वरिष्ठता के क्रम में, अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2017

सं. आई-14011/12/2016-आईपीएस-1(I)—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 23.02.2017 को चयन समिति की दिनांक 06.02.2017 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2012, 2013, 2014 एवं 2015 की उन चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा में दो, दो, चार एवं दो (कुल 10) मौलिक शक्तियों को भरे जाने हेतु हरियाणा पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :-

चयन सूची-2012

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.*	दया कृष्णन भारद्वाज	21.07.1962
2.	ओमवीर सिंह	01.04.1961

* क्रम संख्या 1 पर दिये गये नाम को राज्य सरकार से सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र प्रदान करने के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

चयन सूची-2013

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	राजेश दुग्गल	13.05.1966
#*1A	दया कृष्णन भारद्वाज	21.07.1962
2.	सुरेन्द्र पाल सिंह	12.08.1975

क्रम संख्या 1 ए पर दिये गये नाम को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 के उपविनियम 5 (5) के द्वितीय परंतुक के अनुसरण में शामिल किया गया है।

* क्रम संख्या 1 ए पर दिये गये नाम को राज्य सरकार से सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र प्रदान करने के अध्यक्षीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

चयन सूची-2014

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	मनवीर सिंह	26.09.1971
2.	विरेन्द्र कुमार	08.04.1971
3.	अशोक कुमार	09.06.1961
4.	विक्रम कपूर	19.10.1960

चयन सूची-2015

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम सर्व/श्री/श्रीमती	जन्म तिथि
1.	स्मृति चौधरी	15.08.1976
2.	सुनील कुमार	06.08.1978

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. आई-14011/12/2016-आईपीएस-1(II)—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत हरियाणा संवर्ग प्रदान करते हैं :-

चयन सूची-2012

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्री ओमवीर सिंह	01.04.1961

चयन सूची-2013

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	राजेश दुग्गल	13.05.1966
2.	सुरेन्द्र पाल सिंह	12.08.1975

चयन सूची-2014

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	मनवीर सिंह	26.09.1971
2.	विरेन्द्र कुमार	08.04.1971
3.	अशोक कुमार	09.06.1961
4.	विक्रम कपूर	19.10.1960

चयन सूची-2015

क्रम सं०	अधिकारियों के नाम सर्व/श्री/श्रीमती	जन्म तिथि
1.	स्मृति चौधरी	15.08.1976
2.	सुनील कुमार	06.08.1978

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारियों को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

3. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2017

सं. ए-19011/1/2017-स्थापना—राष्ट्रपति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 28 फरवरी, 2017 के आदेश संख्या 12015/01/2017-आईएसएस के अनुसरण में, सुश्री अंजना दुबे (आईएसएस: 1987) को 06 मार्च, 2017 के पूर्वहन से वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

मनीष कुमार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2017

सं. ए-38012/1/2017-संवर्ग—अधिवर्षिता की आयु होने पर पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी अपने नाम के आगे उल्लिखित तारीख से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

क्र.सं.	नाम	जन्मतिथि	अधिवर्षिता की तारीख
1.	ओम प्रकाश वाधवा	01.03.1957	28.02.2017

अजय कुमार, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2017

सं. ए-22011/4/2009-स्थापना—सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 28.02.2017 के कार्यालय आदेश सं. 12015/01/2017-आईएसएस एवं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसएसओ के दिनांक 03.03.2017 के कार्यालय

आदेश सं. 22011/1/2015-16 ईवी के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री घन श्याम को भारतीय सांख्यिकी सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स स्तर 14 में उनकी पदोन्नति हो जाने के परिणामस्वरूप उन्हें रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग में उप महानिदेशक के पद पर 06.03.2017 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

टी.पी.एन. सिंह, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2017

सं. ए-22020/1/2016-स्थापना-राष्ट्रपति, लोक सभा सचिवालय के कार्यकारी/विधिक/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी श्री सुरेन्द्र चौधरी, को 15,600-39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 और 5400/- रुपये के ग्रेड वेतन (पूर्व-संशोधित) में, राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) के सहायक निजी सचिव (एपीएस) के पद पर, दिनांक 10 फरवरी, 2017 अपराह्न से, संलग्न (co-terminus) आधार पर या उनके द्वारा राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) के सहायक निजी सचिव (एपीएस) का कार्यभार छोड़ने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

जयश्री नारायणन, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 14 मार्च 2017

सं. एम0एम0/01/01/2013—राष्ट्रपति, भारतीय सर्वेक्षण विभाग में निदेशक के पद पर तैनात निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्शायी गई तारीख से अपर महासर्वेक्षक (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 में (पूर्व संशोधित पे0 बैंड—04 रु0 37400—67000 + ग्रेड वेतन रु0 10000) में सहर्ष पदोन्नत करते हैं:—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री ओ0 पी0 त्रिपाठी	21-02-2017 (अपराह्न)
2.	श्री यू0 एन0 गुर्जर	07-02-2017

बी0 एस0 भण्डारी, अवर सचिव

बायोटेक्नोलॉजी विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 मार्च 2017

सं.ए-19011/03/2017-स्था.—राष्ट्रपति, श्री सुमेध सोपान नागरारे, उप महानिदेशक की भारतीय सांख्यिकी सेवा (भा.सां.से.) में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) में नियमित पदोन्नति तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के दिनांक 28 फरवरी, 2017 के कार्यालय आदेश सं. 12015/01/2017 (आईएसएस) के तहत बायोटेक्नोलॉजी विभाग में उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप उन्हें 15 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न से बायोटेक्नोलॉजी विभाग में सांख्यिकी सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम.के.सिन्हा, अवर सचिव

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 फरवरी 2017

सं. 15-60/2016-एनटीसीए—राष्ट्रपति, श्री विनय कुमार शर्मा को दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 के पूर्वाह्न से राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, में पे-बैंड-3 वेतनमान (15,600—39,100) एवं

ग्रेड पे— 6600/— (पूर्व संशोधित) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप निदेशक (वित्त) के पद पर तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

संजय कुमार, उप वन महानिरीक्षक (रा.व्या.सं.प्रा.)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2017

सं. ए. 12025/15/2016-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय, डॉ. इंदु भूषण दुबे दिनांक 23.02.2017 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में शल्य चिकित्सा की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 20 मार्च 2017

सं. ए. 12025/78/2011-सीएचएस-III—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. निखिल गुप्ता को दिनांक 23.05.2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में शल्य चिकित्सा विज्ञान की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 16 मार्च 2017

सं. ए. 12025/18/2013-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. हिमांशु सीकरी को दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान (15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन) (पूर्व संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. हिमांशु सीकरी को राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वह दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेगा।

डी. डी माहेश्वरी, अवर सचिव

सं. ए. 12025/95/2014-सीएचएस 1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. लाहोटी चंदन रश्मिकांत को दिनांक 24 फरवरी, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान (15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन) (पूर्व संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. लाहोटी चंदन रश्मिकांत को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पुणे के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

डी. डी माहेश्वरी, अवर सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2017

शुद्धिपत्र

सं. ए.19012/21/2016 ईए.—दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 की सम संख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अधिसूचना की पंक्ति 3-4 में अधिकारी के नाम को सुश्री निकिता पंत (आईईएस: 2014) के स्थान पर “सुश्री नितिका पंत” (आईईएस: 2014) पढ़ा जाए।

2. राजपत्र अधिसूचना की अन्य विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेंगी।

अभिजीत चक्रवर्ती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2017

सं. 38011/05/2016-स्था.11—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में श्री ए.के.मिश्रा, अपर आयुक्त (सहकारिता) 31.01.2017 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

सुनील कुमार स्वर्णकार, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 2017

सं. 10-1/2015-एल-1—राष्ट्रपति द्वारा प्रोफेसर अवनीश कुमार, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तरप्रदेश- 284128 को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली (उच्चतर शिक्षा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय) में जीसीएस समूह- 'क' राजपत्रित गैर-मंत्रालयी पद पर दिनांक 06.02.2017 के पूर्वाह्न से अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति पे बैंड-4 रुपये 37,400-67,000 के वेतनमान सहित 10,000/- रुपये के ग्रेड पे पर तीन वर्ष या अगला आदेश पारित किये जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए अल्पकालीन संविदा आधार पर होगी।

आर. सीताराम मूर्ति, उप सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2017

सं. एफ. 13011-8/2017-एनवाईकेएस—नेहरू युवा केंद्र संगठन नियमावली के नियम 9 (ख) के अनुसरण में श्री एस. के. भट्टाचार्य, शिक्षाविद को भारत सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की श्रेणी की रिक्ति पर नेहरू युवा केंद्र संगठन के शासी मंडल में सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है।

2. श्री एस.के.भट्टाचार्य, शिक्षाविद का कार्यकाल तीन वर्ष की कुल अवधि की शेष बची अवधि के लिए अर्थात् 12.03.2018 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगा।

3. यह नेहरू युवा केंद्र संगठन के नियमों और उप नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा।

आई.बी. लेंका, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 9th February 2017

No. RS/6/5/2017/5-Perl.—Shri Shanti Lal has been appointed as Private Secretary in Level 10 of the Pay Matrix (pre-revised scale of pay of PB-3 of Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 5400/-) in the personal staff of Chief Whip-B.J.P., Rajya Sabha (Shri Narayan Lal Panchariya) w.e.f. 1st February, 2017 on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Shanti Lal is at the discretion of the present Chief Whip-B.J.P., Rajya Sabha (Shri Narayan Lal Panchariya) and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

The 13th February 2017

No. RS/6/3/2016/6-Perl.—On being relieved from the Andaman & Nicobar Administration, Shri Sanjeev Ahuja, DANICS is appointed as Secretary to Hon'ble Leader of Opposition, Rajya Sabha in Level 13 of the Pay Matrix (provisional) (corresponding to pre-revised pay scale of PB 4 of Rs. 37400-67000 + 8700) on deputation and co-terminus basis w.e.f. the afternoon of 10th February, 2017 and until further orders.

2. The appointment of Shri Sanjeev Ahuja is at the discretion of the Hon'ble Leader of Opposition, Rajya Sabha and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Jt. Director

NITI AAYOG

New Delhi, the 28th December 2016

No. F.6 (2231)/2014-Adm.II—In pursuance of Department of Economic Affairs Order No. T-35/2016 issued from their File No.13016/3/2016-IES dated 13-12-2016, Shri A. Muthuvezhappan, Director, NITI Aayog is relieved from NITI Aayog w.e.f. 30th December, 2016 (AN) to join as Director, Labour Bureau, Chennai.

DINESH KOCHHER, Under Secy.

The 2nd January 2017

No. F.6 (2165)/2011-Adm.I—In pursuance of approval of the UPSC vide its communication No. 3/20(1)/2016-ADT-I dated 22.12.2016, after completion of fifth year, the deputation period of Shri P.K. Jha as Deputy Adviser (Irrigation) in NITI Aayog in PB: 3 : Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 7600/- [Pre-revised] [Level-12] has been extended for further period of two years i.e. 12.08.2016 to 11.08.2018 or until further orders, whichever is earlier.

DINESH KOCHHER, Under Secy.

The 4th January 2017

No. F.6 [2251]/2015-Adm.I—In pursuance of Appointments Committee of the Cabinet's communication No. 36/02/2015-EO(SM.I) dated 06.04.2015 and consequent upon his completion of tenure in NITI Aayog under central staffing scheme on 13.12.2016, Shri Alok Kumar (IAS, AM:1984), Additional Secretary, NITI Aayog, is relieved of his duties in NITI Aayog w.e.f. 13.12.2016 (A.N).

2. In supersession of NITI Aayog's Order of even number dated 13.12.2016, Shri Alok Kumar, Additional Secretary is granted end of tenure earned leave for 22 days w.e.f. 14.12.2016 to 04.01.2017.

DINESH KOCHHER, Under Secy.

The 9th January 2017

No. F.6 [2250]/2015-Adm.I—In pursuance of Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet's communication No. 33/16/2016-EO(SM.I) dated 21.12.2016, Smt. Alka Tiwari, (IAS; JH:1988) Adviser, NITI Aayog, is relieved of her duties in NITI Aayog w.e.f. 09.01.2017 (A.N.) to join Department of Fertilizers, M/o Chemicals & Fertilizers as Joint Secretary on lateral shift basis.

DINESH KOCHHER, Under Secy.

The 11th January 2017

No. F.6 [2233]/2014-Adm.I—In pursuance of Railway Board, M/o Railways' Order No. ERB-I/2016/2/86 dated 02.12.2016 regarding his promotion to SA Grade and posting as Executive Director, Mobility (Elect.), Railway Board, and approval of DoPT vide its OM No. 7/6/2013-EO (MM-I) dated 10.01.2017 for pre mature repatriation to avail the promotion, Shri Jeetendra Singh, (SG/IRSEE), Director (central staffing scheme), NITI Aayog is relieved w.e.f 11.01.2017 (F.N).

DINESH KOCHHER, Under Secy.

The 17th January 2017

No. F.6 [2281]/2017-Adm.I—In pursuance of DoPT's OM No. 6/17/2009-EO(MM-I) dated 10.01.2017, appointment of Shri Sumant Narain, IA&AS (2000) as Director DMEO/NITI Aayog is regularized as under:

1. Appointment as Director in the DMEO under the NITI Aayog is regularized from 01.02.2016 and upto 08.03.2016.
2. Appointment as Director in the NITI Aayog under the CSS is regularized for a period from 09.03.2016 till 14.12.2016 (total of seven years away from the Cadre).
3. Deputation tenure as Director in the NITI Aayog is extended for one year beyond 14.12.2016 and up to 14.12.2017.

DINESH KOCHHER, Under Secy.

The 20th January 2017

No. F.6 (2151)/2011- Adm.I—In pursuance of approval of the Secretariat of Appointments Committee of the Cabinet vide its communication No. 7/2/2010-EO(SM.II)(P) dated 11.01.2017, the deputation tenure of Dr. Manoj Singh, IRTS as Adviser (Transport), NITI Aayog in Level-14 of revised pay matrix [Rs. 37400-67000+Grade Pay-10,000/- (pre-revised)] is extended for a period of six months w.e.f 01.01.2017, or until further orders, whichever is earlier.

DINESH KOCHHER, Under Secy.

No. F.6 [2186]/2012-Adm.I—In pursuance of, Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet's communication No. 36/02/2017-EO(SM.I) dated 16.01.2017, the President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Jain, IAS (MP:86), presently working as Adviser in NITI Aayog, as Additional Secretary, NITI Aayog in level-15 of pay matrix w.e.f 17.01.2017(FN) upto 22.04.2019 for a combined period of 7 years as Joint Secretary and Additional Secretary in NITI Aayog under Central Staffing Scheme or till further orders whichever is earlier, vice ShriYudhvir Singh Malik (IAS, HY:83), former Special Secretary, NITI Aayog, who has been relieved from NITI Aayog, on his appointment as Chairman, NHAI.

DINESH KOCHHER, Under Secy.

No. F. A-12025/07/2016-Adm.II (P)—In pursuance of DoPT's OM No. 7/1/2016-EO (MM.II) dated 10.11.2016, the President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Nema (ITS:1994) as Director, NITI Aayog in Level-13 (Rs. 169000–214100) of the pay matrix (PB-4 + Rs. 8700/- GP- pre-revised) under Central Staffing Scheme w.e.f 19.01.2017 (F.N) on lateral shift basis up to 11.09.2019 (i.e. combined tenure of 7 years) or until further orders, whichever is earlier.

DINESH KOCHHER, Under Secy.

The 30th January 2017

No. F.6 (2278)/2016-Adm.II—On attaining the age of superannuation, Shri A.K. Verma, Under Secretary, NITI Aayog shall retire from Government service w.e.f. 31.01.2017 (A.N.).

DINESH KOCHHER, Under Secy.

The 16th February 2017

No. F.6 (2148)/2010-Admn.I—With reference to MOS&PI's O.M.No. 12015/02/2017-ISS (pt). dated 14th February, 2017, Ms. Vandana Marwah, Director (ISS), who is on deputation to NITI Aayog's own post w.e.f. 14.8.2015 for a period of 3 years is pre maturely repatriated w.e.f. 17.02.2017 (F.N) to her parent cadre by curtailing the tenure of deputation.

2. She is directed to report to her parent cadre i.e. Ministry of Statistics & Programme Implementation (ISS Division).

DINESH KOCHHER, Under Secy.

ADDENDUM

No. F.6 [2281]/2017-Adm.I—The following para is added to NITI Aayog's Notification No. F.6[2281]/2017-Adm.I dated 17th January, 2017:

“ Shri Sumant Narain, IA&AS (2000) counts his central deputation w.e.f 15.12.2009.”

DINESH KOCHHER, Under Secy.

The 21st February 2017

No. F.6 [2283]/2017-Adm.IA—In pursuance of the Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet's communication No. 36/02/2016 – EO (SM-I) dated 5th December, 2016 the President is pleased to appoint Shri Yaduvendra Mathur, IAS (RJ:86) as Additional Secretary, NITI Aayog, in level – 15 (182200 – 224100) of the revised pay matrix w.e.f. 21.02.2017 (F.N.) until further orders.

DINESH KOCHHER, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110 011, the 13th January 2017

No. K-13012/04/2016-US.II— In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justice (i) Mukhtar Ahmad, (ii) Amar Singh Chauhan, (iii) Shamsher Bahadur Singh, (iv) Vinod Kumar Misra, (v) Pramod Kumar Srivastava, (vi) Raghvendra Kumar, and (vii) Pratyush Kumar, Additional Judges of the Allahabad High Court, to be Judges of the Allahabad High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K-13012/06/2016-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justice (i) Abhai Kumar, (ii) Alok Kumar Mukherjee, (iii) Anil Kumar Srivastava-II, (iv) Ravindra Nath Kakkar, (v) Dr. Vijay Laxmi, (vi) Umesh Chandra Srivastava, (vii) Ravindra Nath Mishra-II, (viii) Prabhat Chandra Tripathi, and (ix) Vinod Kumar Srivastava-III, Additional Judges of the Allahabad High Court, to be Judges of the Allahabad High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

The 14th January 2017

No. K-13013/01/2016-US.I— In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Kumari Javalakar Uma Devi, (ii) Shri Nakka Balayogi, (iii) Smt. Telaprolu Rajani, and (iv) Dr. Shameem Akther, to be Judges of the High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Telangana and Andhra Pradesh, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

The 2nd February 2017

No. K-13020/01/2017-US.II— Shri Justice Piar Singh Rana tenders his resignation from the office of the Judge of Himachal Pradesh High Court, in pursuance of proviso (a) to clause (1) of article 217 of the Constitution, with effect from the afternoon of 02nd January, 2017.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

The 15th February 2017

No. K-13011/1/2017-US.I (i)—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Sanjay Kishan Kaul, Chief Justice of the Madras High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K-13011/1/2017-US.I (ii)—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Shantanagoudar Mohan Mallikarjunagouda, Chief Justice of the Kerala High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K-13011/1/2017-US.I (iii)—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice S. Abdul Nazeer, Judge of the Karnataka High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K-13011/1/2017-US.I (iv)—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Navin Sinha, Chief Justice of the Rajasthan High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K-13011/1/2017-US.I (v)—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 124 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Deepak Gupta, Chief Justice of the Chhattisgarh High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

The 16th February 2017

No. K-11019/4/2017-US.II (i)—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Huluvadi Gangadharappa Ramesh, senior-most Judge of the Madras High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Sanjay Kishan Kaul, relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Madras High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K-11019/4/2017-US.II (ii)—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Thottathil Bhaskaran Nair Radhakrishnan, senior-most Judge of the Kerala High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Shantanagoudar Mohan Mallikarjunagouda, relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Kerala High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K-11019/4/2017-US.II (iii)—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Kalpesh Satyendra Jhaveri, senior-most Judge of the Rajasthan High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Navin Sinha relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Rajasthan High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K-11019/04/2017-US.II (iv)—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Pritinker Diwaker, senior-most Judge of the Chhattisgarh High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from the date Shri Justice Deepak Gupta relinquishes charge of the office of the Chief Justice of the Chhattisgarh High Court consequent upon his appointment as a Judge of the Supreme Court of India.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

The 17th February 2017

No. K-13012/02/2015-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (i) Ashok Kumar, (ii) Vivek Chaudhary, and (iii) Saumitra Dayal Singh, to be Additional Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

No. K-13023/01/2016-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Nangli Krishnarao Sudhindrarao, and (ii) Dr. Hosur Bhujangaraya Prabhakara Sastry, to be Additional Judges of the Karnataka High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th February 2017

No. I-14011/12/2016-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 23.02.2017 approved the year-wise Select Lists of the year 2012, 2013, 2014 and 2015 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 06.02.2017, containing the names of the following State Police Service Officers of Haryana towards filling up two substantive vacancies for Select List- 2012, two substantive vacancies for Select List- 2013, Four substantive vacancies for Select List- 2014 & two substantive vacancies for Select List of 2015 in the Haryana Cadre of Indian Police Service :-

Select List of 2012

S.No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
1.*	Daya Krishan Bhardwaj	21.07.1962
2.	Omvir Singh	01.04.1961

* The name at Sl. No.1 has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

Select List of 2013

S.No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
1.	Rajesh Duggal	13.05.1966
#*1A	Daya Krishan Bhardwaj	21.07.1962
2.	Surinder Pal Singh	12.08.1975

The name at Sl. No. 1A has been included in addition to the size of the Select list as per the 2nd Proviso to Regulation 5 (5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulation, 1955.

* The name at Sl. No. 1A has been included in the list provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

Select List of 2014

S.No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
1.	Manbir Singh	26.09.1971
2.	Virender Kumar	08.04.1971
3.	Ashok Kumar	09.06.1961
4.	Vikram Kapoor	19.10.1960

Select List of 2015

S.No.	Name (S/Shri/Smt.)	Date of Birth
1.	Smiti Chaudhary	15.08.1976
2.	Sunil Kumar	06.08.1978

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

No. I-14011/12/2016-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Haryana Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Haryana Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Select List of 2012

Name (S/Shri)	Date of Birth
Omvir Singh	01.04.1961

Select List of 2013

S.No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
1.	Rajesh Duggal	13.05.1966
2.	Surinder Pal Singh	12.08.1975

Select List of 2014

S.No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
1.	Manbir Singh	26.09.1971
2.	Virender Kumar	08.04.1971
3.	Ashok Kumar	09.06.1961
4.	Vikram Kapoor	19.10.1960

Select List of 2015

S.No.	Name (S/Shri/Smt.)	Date of Birth
1.	Smiti Chaudhary	15.08.1976
2.	Sunil Kumar	06.08.1978

2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10.05.2011.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 16th March 2017

No. A-19011/1/2017-Estt.—In pursuance of M/o Statistics & Programme Implementation's Order No. 12015/01/2017-ISS dated 28th February, 2017, the President is pleased to appoint Ms. Anjana Dube, (ISS:1987) as Deputy Director General in the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 6th March, 2017.

MANISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 8th March 2017

No. A-38012/1/2017-Cadre—On attaining the age of superannuation, the following Section Officer of CSS Cadre of Supply Division retired from Government service with effect from the date mentioned against his name:

Name	Date of Birth	Date of superannuation
Om Parkash Wadhwa	01.03.1957	28.02.2017

AJAY KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 10th March 2017

No. A-22011/4/2009-Estt.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12015/01/2017-ISS dated 28.02.2017 and Ministry of Statistics and Programme Implementation, NSSO's Office Order No. 22011/1/2015-16-EV dated 03.03.2017, the President is pleased to appoint Sh Ghan Shyam, as DDG in the Department of Chemicals & Petrochemicals consequent upon his promotion to the Senior Administrative Grade (SAG) of the Indian Statistical Service, in pay matrix in Level 14, as per 7th CPC, with effect from the forenoon of 06.03.2017.

T. P. N. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 14th February 2017

No. A-22020/1/2016-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Surender Chaudhary, Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer of Lok Sabha Secretariat, to the post of Assistant Private Secretary (APS) to the Minister of State (Consumer Affairs, Food and Public Distribution) in the Pay Band-3 of Rs.15,600-39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- (pre-revised) with effect from the afternoon of 10th February, 2017 on co-terminus basis or till he ceases to function as Assistant Private Secretary (APS) to the Minister of State (Consumer Affairs, Food and Public Distribution) or till further orders, whichever is the earliest.

JAYASHREE NARAYANAN, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 14th March 2017

No. SM/01/01/2013—The President is pleased to promote following officers holding the post of Director in Survey of India to the post of Additional Surveyor General (Senior Administrative Grade) in level 14 in Pay Matrix (Pre-revised PB-04 of Rs. 37400-67000 + GP 10,000) in the Department with effect from the date as indicated against their names :-

Sl. No.	Name of the officer	Date of Appointment
1.	Shri O. P. Tripathi	21-02-2017 (A/N)
2.	Shri U. N. Gurjar	07-02-2017

B S BHANDARI, Under Secy.

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

New Delhi-110 003, the 17th March 2017

No. A-19011/03/2017-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sumedh Sopan Nagrare, Dy. Director General as Statistical Adviser in the Department of Biotechnology with effect from the forenoon of 15th March, 2017, consequent upon his regular promotion to Senior Administrative Grade (SAG) of Indian Statistical Service (ISS) and his posting to Department of Biotechnology vide Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No.12015/01/2017-ISS dated 28th February, 2017.

M. K. SINHA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE
(NATIONAL TIGER CONSERVATION AUTHORITY)

New Delhi-110003, the 28th February 2017

No. 15-60/2016-NTCA—The President is pleased to appoint Sh. Vinay Kumar Sharma to the post of Deputy Director (Finance), National Tiger Conservation Authority, New Delhi in the Pay Scale of PB-3 Rs. 15,600-39,100 with grade pay of Rs. 6600/- (pre-revised) on deputation basis for a period of 3 years in the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment Forests & Climate Change, w.e.f. the forenoon of 30th December, 2016.

SANJAY KUMAR, Dy. Inspector General of Forests (NTCA)

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 16th March 2017

No. A.12025/15/2016-CHS.III—The President is pleased to appoint Dr. Indu Bhushan Dubey to the post of Assistant Professor in the speciality of Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service with effect from the forenoon of 23.02.2017 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 20th March 2017

No. A.12025/78/2011-CHS.III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nikhil Gupta to the post of Assistant Professor in the specialty of Surgery, posted at the Dr. RML Hospital, New Delhi, in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 23.05.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110 011, the 16th March 2017

No. A.12025/18/2013-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Himanshu Sikri to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 31st October, 2016 until further orders. Dr. Himanshu Sikri is posted as Medical Officer under RML Hospital, Delhi. He will be on probation for a period of two years from the date of appointment.

D. D. MAHESHWARI, Under Secy.

No. A.12025/95/2014-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Lahoti Chandan Rashmikant to the Medical Officer Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs. 5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 24th February, 2016 until further orders. Dr. Lahoti Chandan Rashmikant is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Pune. He will be on probation for a period of two years.

D. D. MAHESHWARI, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 17th January 2017

CORRIGENDUM

No. A. 19012/21/2016-EA—In partial modification of the notification of even number dated 22nd December, 2016, the name of the officer, in line 3-4 of the said notification, may be read as “Ms. Nitika Pant (IES : 2014)” instead of Ms. Nikita Pant (IES : 2014).

2. The other contents of the Gazette Notification shall remain unchanged.

ABHIJIT CHAKRABORTY, Under Secy.

New Delhi, the 27th January 2017

No. 38011/05/2016-E.II—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri A. K. Misra, Additional Commissioner (Cooperation) in the Department of Agriculture & Cooperation Farmers Welfare, stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.01.2017 (AN).

SUNIL KUMAR SWARNKAR, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

New Delhi, the February 2017

No. 10-1/2015-L-I—Professor Avanish Kumar, Bundelkhand University, Jhansi, UP-284128 is appointed by the President to the post of Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology, New Delhi (a subordinate office of the Department of Higher Education), a GCS Group-A Gazetted Non-Ministerial post, with effect from the forenoon of 06.02.2017. His appointment to the post of Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology would be on short term contract basis in the Pay Scale of PB-4 Rs. 37,400-67,000 plus Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

R. SITARAMA MURTHY, Dy Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi, the 14th March 2017

No. F-13011-8-2017/NYKS—In pursuance of Rule 9(b) of Rules of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Shri S. K. Bhattacharya, an Educationist is hereby nominated as Member by the Government of India to the Board of Governors of Nehru Yuva Kendra Sangathan against one vacancy earmarked under eminent persons category with immediate effect.

2. The term of membership of Shri S. K. Bhattacharya, an Educationist will be for the unexpired portion of the three year term left viz. upto 12.3.2018 or till further order, whichever is earlier.

3. This will be subject to other provisions of the Bye-laws and Rules of Nehru Yuva Kendra Sangathan.

I. B. LENKA, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART I—SEC.2]

BANSHI

DHAR DUBEY

Digitally signed by
BANSHI DHAR DUBEY

Date: 2017.04.01 11:22:24
+05'30'